कार्यालय अधिष्ठाता
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर, म.प्र.

निविदा 2026–2027

गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह भवनों, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भवन एवं चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न भवनों/छात्रावासों में स्थापित जनरेटर्स की सी.एम.सी. एवं संचालन कार्य हेतु ई–निविदा फार्म

(प्रथम आमंत्रण)

कीमत रूपये 5,000/–

(रूपये पॉच हजार मात्र)

वापिसी योग्य नही (Non Refundable)

निविदा क्रमांक–16357/05/05/2026

निविदा आई.डी.–2026_DME_505203_1

निविदा की अनुमानित कीमतः– रूपये 85 लाख

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई–निविदा सूचना क्रमांक 16357/2026 दिनांक 05/05/2026

S.No.	Particular	Date & Time
1.	Online Bid Publishing Date & Time	12.05.2026 Time 05.00 P.M.
2.	Online Document Download/Sale Start Date & Time	13.05.2026 Time 05.30 P.M.
3.	Pre-Bid Meeting Date & Time	15.05.2026 Time 12.30 P.M.
4.	Online Bid Submission Start Date & Time	15.05.2026 Time 02:00 P.M.
5.	Online Bid Submission Closing Date & Time	26.05.2026 Time 05:30 P.M.
6.	Online Bid Opening Date & Time	28.04.2026 Time 12:30 P.M.

एपेन्डिक्स ए

स्थापित जनरेटर्स का विवरण

S.No.	Capacity	Quantity	Make	Place
1.	Generator 125 KVA	01	Jakson & Co./ Kirloskar	Kamlaraja Hospital
2.	Generator 62.5 KVA	01	Kirloskar	Kamlaraja Hospital
3.	Generator 15 KVA	01	Bhaskar/Kirloskar	Kamlaraja Hospital
4.	Generator 125 KVA	01	Jakson & Co./ Kirloskar	Neurology
5.	Generator 62.5 KVA	01	Kirloskar	Neurology
6.	Generator 50 KVA	01	Cummins	Neurology
7.	Generator 62.5 KVA	01	Kirloskar	Old JAH Building
8.	Generator 125 KVA	01	Jakson & Co./ Kirloskar	Madhav Dispensary
9.	Generator 50 KVA	01	Jakson & Co./ Kirloskar	Madhav Dispensary
10.	Generator 250 KVA	01	Ashok Leyand	Trauma Centre PSA
11.	Generator 125 KVA	01	Kirloskar	Trauma Centre
12.	Generator 62.5 KVA	01	Koel Green by Kirloskar	Medicine Store
13.	Generator 320 KVA	02	Kirloskar	Cardiology
14.	Generator 1010 KVA	03	Samford	1000 Bed Hospital
15.	Generator 250 KVA	01	Greaves Cotton Ltd.	1000 Bed Hospital
16.	Generator 625 KVA	02	Kirloskar	Super Speciality Hospital
17.	Generator 320 KVA	01	Greaves	College Building
18.	Generator 250 KVA	01	Greaves	College Building
19.	Generator 200 KVA	01	Greaves	TB DST Lab
20.	Generator 40 KVA	01	Powe Lux	VRDL Lab
21.	Generator 30 KVA	01	Kirloskar	College Building
22.	Generator 15 KVA	01	Kirloskar	Nursing Hostel
	Total-	**26**		

आमंत्रित निविदा की नियम एवं शर्ते

वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिये संलग्न सूची में अंकित विववरण अनुसार एवं संख्या अनुसार गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय के भवनों, महाविद्यालय से संबद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह के भवनों, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भवन में स्थापित जनरेटर्स की सी.एम.सी. एवं संचालन कार्य हेतु ऑनलाईन निविदायें निम्न शर्तो के साथ आमंत्रित की जाती हैः–

1. निविदा पत्र म.प्र.शासन की वेबसाईट www.mptenders.gov.in से दिनांक 12.05.2026 से ऑनलाईन डाउनलोड कर क्रय किये जा सकते है।

2. निविदायें केवल ऑनलाईन ही क्रय की जा सकेगी एवं ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने पर मान्य होगी। कार्यालय से मैन्युअली निविदा फॉर्म न तो विक्रय किया जावेगा और न ही मैन्युअली जमा किया जावेगा।

3. यदि निविदा शर्तो एवं दिनांक में यदि कोई संशोधन अथवा समय वृद्धि किये जाने की स्थिति निर्मित होती है तो वह www.mptenders.gov.in के माध्यम से ही ऑनलाईन की जावेगी। इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में संशोधन सूचना जारी नही की जावेगी।

4. अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनका एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकता है। इस हेतु उन्हें अलग से कोई सूचना नही दी जावेंगी। यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को शासन द्वारा अवकाश की घोषणा कर दी जाती है तो प्राप्त निविदायें आगामी कार्यदिवस में खोली जावेंगी।

5. निविदा दो बिड पद्वति (Two Bid System) के आधार पर ही होगी। जो क्रमशः तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में होगी।

6. प्रथमतः जिन निविदादाताओं की ऑनलाईन धरोहर राशि एवं निर्धारित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होंगे उन्ही निविदादाताओं की ऑनलाईन वित्तीय निविदायें खोली जावेगी। जिन निविदादाताओं द्वारा निर्धारित धरोहर राशि एवं आवश्यक पूर्ण दस्तावेज संलग्न नही किये जावेंगे। उन्हें अयोग्य मान्य किया जावेगा।

7. तकनीकी निविदायें पूर्ण पाई जाने के उपरांत ऑनलाईन वित्तीय निविदायें खोलने की दिनांक से पृथक से ऑनलाईन माध्यम से सूचना निविदादाता को प्राप्त होगी।

8. निविदादाता को निर्धारित पोर्टल www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन दरे निर्धारित प्रपत्र पर अपलोड कर प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता द्वारा दरों का ऑफलाईन रूप से प्रस्तुत लिफाफा मान्य नही किया जावेगा।

9. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज गलत या कूटरचित पाये जाने पर उसकी निविदा निरस्त की जाकर उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी एवं उसका/उसकी संस्था/फर्म का नाम काली सूची में डाल दिया जावेगा।

10. निविदादाता को निर्धारित पोर्टल www.mptenders.gov.in पर दरे निर्धारित बी.ओ.क्यू. पर ऑनलाईन अपलोड कर प्रस्तुत करनी होगी। निविदादाता द्वारा दरों का ऑफलाईन रूप से प्रस्तुत लिफाफा मान्य नही किया जावेगा।

11. दरों की बी.ओ.क्यू. आईटम रेट प्रकार की है अर्थात् समस्त दरों के कुल योग के आधार पर न्यूनतम दरों का चयन किया जावेगा।

12. दरों की बी.ओ.क्यू. में अंकित समस्त कार्यो के लिये दरे प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि निविदादाता द्वारा ऐसा नही किया जाता है और उसकी दरे न्यूनतम प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में दरे मान्य नही होगी।

13. एक्जाई न्यूनतम दरों के आधार पर निविदादाता का चयन किया जावेगा।

14. निविदादाता को दरों के बी.ओ.क्यू. में दरे प्रस्तुत करने के उपरांत कॉलम 53 में जो राशि अंकित होगी उसी पर जी.एस.टी. की गणना कर टैक्स राशि रूपये में कॉलम नं. 51 में प्रस्तुत करना होगी तभी राशि पर जी. एस.टी. टैक्स की सही गणना होगी। यदि निविदादाता द्वारा इसका पालन नही किया जाता है और ऐसी स्थिति में उसकी दरे न्यूनतम होती है तो भी टैक्स की उचित गणना ना होने के कारण उसकी निविदा दरे मान्य नही होगी। इस बिंदु का निविदादाता विशेष रूप से ध्यान रखें।

15. जी.एस.टी. टैक्स सहित प्रस्तुत दरे मान्य नही होगी।

16. निविदा में स्वीकृत दरों से कम दरे निविदादाता किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में प्रस्तुत नही करेगा।

17. चिकित्सालय में वर्तमान में विभिन्न क्षमता के स्थापित जनरेटर्स की संख्या, उनकी क्षमता, उनका स्थापना स्थल एवं निर्माता कंपनी के नाम संबंधी विवरण संलग्न **एपेन्डिक्स ए** में अंकित है। इस संख्या में कमी अथवा वृद्धि भी हो सकती है।

18. निविदादाता को जिस कंपनी का जनरेटर्स है उस कंपनी के नार्मस् के अनुसार जनरेटर्स की सी.एम.सी. करनी होगी जिसका भुगतान निविदादाता को करना होगा।

19. समस्त जनरेटर्स की सी.एम.सी. अवधि में उसमें लगने वाले समस्त पार्टस, ऑईल, बैटरी इत्यादि का व्यय निविदादाता को करना होगा।

20. निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि बिजली जाने पर जनरेटर्स अधिकतम 05 मिनिट की अवधि में चालू हो जावे। यदि ऐसा नही होता है तो इस हेतु राशि रूपये 5,000/– का अर्थदण्ड आरोपित किया जावेगा। जो कि निविदादाता के देयक से काट लिया जावेगा।

21. निविदादाता यह सुनिश्चित करेगा कि सी.एम.सी. अवधि में समस्त जनरेटर्स में किसी प्रकार की खराबी आने पर उसके पुनः सफल संचालन के लिये इंजीनियर्स/मैकेनिक की एक टीम अस्पताल में हमेशा उपस्थित रहे।

22. निविदादाता को जनरेटर्स के पार्टस, बैटरी, ऑईल इत्यादि का बैकअप रखना अनिवार्य होगा। किसी भी जनरेटर में खराबी होने अथवा उसके पार्टस बदले जाने की सूचना लिखित रूप से अधिष्ठाता कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।

23. निविदादाता को प्रत्येक जनरेटर के संचालन हेतु एक लॉग बुक संधारित करना अनिवार्य होगा जिसमें जनरेटर चालू करने, बंद करने, लाईट जाने एवं आने का समय तथा उपयोग किये गये डीजल का विवरण अंकित होगा। यह लॉग बुक अधिष्ठाता द्वारा नियुक्त अधिकारी से समय–समय पर सत्यापित कराना अनिवार्य होगा।

24. जनरेटर्स संचालन में लगने वाला डीजल उच्च गुणवत्ता वाला इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा एवं डीजल का पर्याप्त स्टॉक सुरक्षित स्थल पर रखना होगा।

25. निविदादाता को जनरेटर्स के संचालन कार्य हेतु भी पर्याप्त स्टॉफ रखना अनिवार्य होगा। यदि एक ही भवन पर पदस्थ स्टॉफ से अन्य भवन के जनरेटर्स संचालन का कार्य लिये जाने संबंधी संज्ञान होता है तो इस कृत्य पर राशि रूपये 10,000/– का अर्थदण्ड प्रति शिकायत आरोपित किया जावेगा जो कि निविदादाता के देयक से काटा जावेगा।

26. निविदादाता पर 03 से अधिक बार अर्थदण्ड आरोपित होने पर अनुबंध पत्र निरस्त किया जा सकता है।

27. जनरेटर्स में किसी भी प्रकार की खराबी आने के कारण वह ठीक ना होने, जल जाने की स्थिति में उसकी कीमत का निर्धारण कर उसकी वसूली निविदादाता से की जावेगी।

28. जनरेटर्स संचालन की अवधि निविदा कार्य प्रारंभ होने की दिनांक से एक वर्ष की होगी। जिसमें कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगामी वृद्धि भी की जा सकेगी। परंतु समयावधि में वृद्धि करने पर कोई भी दर वृद्धि मान्य नही की जावेगी।

29. जनरेटर्स की सी.एम.सी. एवं संचालन कार्य की नवीन निविदा होने तक यदि आवश्यक होता है तो निविदादाता की कार्य अवधि में 01 से 02 माह की वृद्धि की जा सकती है जो कि उसे मान्य होगी।

30. निविदादाता को कार्यआदेश प्राप्त होने पर अधिकतम 07 दिवस में कार्य प्रारंभ करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके द्वारा जमा धरोहर राशि राजसात कर फर्म का नाम काली सूची में डाल दिया जावेगा।

31. निविदादाता को दरे स्वीकृती संबंधी सूचना प्राप्त होने के उपरांत 05 दिवस में अनुबंध निष्पादित करने हेतु निर्धारित राशि के स्टॉम्प अपने व्यय पर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे साथ ही स्वीकृत निविदा की वार्षिक राशि का 03 प्रतिशत बतौर जमानत राशि बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा।

32. समस्त निविदादाताओं द्वारा निविदा के साथ इलैक्ट्रोनिक पद्धति से ऑनलाईन जमा धरोहर राशि रूपये निविदा स्वीकृती के उपरांत स्वतः उनके बैंक खाता क्रमांक (जिस बैंक खाते से भुगतान किया गया है) में पोर्टल के माध्यम से वापिस प्राप्त होगी।

33. बिजली जाने पर निविदादाता को तुरंत जनरेटर्स का संचालन करना होगा।

34. जनरेटर्स 24 घंटे आवश्यकता होने पर चालू करने का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

35. जनरेटर्स संचालन का कार्य समाप्ति के उपरांत जनरेटर्स चालू हालत में नवीन जनरेटर्स संचालक को सौंपने होंगे तत्पश्चात् ही निविदादाता के अंतिम माह के देयक का भुगतान तथा जमानत राशि वापिस की जावेगी।

36. निविदादाता को श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पदस्थ कर्मचारियों को उनकी कैटगरी के तहत श्रम नियमानुसार वेतन भुगतान करना अनिवार्य होगा साथ ही शासन द्वारा निर्धारित फण्ड्स का भी कटौत्रा कर संबंधित कर्मचारी के खाते में जमा करना होगा।

37. जनरेटर्स संचालन हेतु निविदादाता द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारी पदस्थ किये जावेंगे जिनके पहचान पत्र मय उनकी योग्यता प्रमाण पत्र के साथ संधारित करने होंगे जिनका कभी भी अधिष्ठाता अथवा उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

38. जनरेटर्स संचालन कार्य हेतु पदस्थ कर्मचारियों में से कार्य के दौरान किसी भी कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा मृत्यु होने की दशा में उसका समस्त उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

39. जनरेटर्स संचालन कार्य हेतु पदस्थ कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त/मृत्यु होने की दशा में उपचार/मुआवजा देने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

40. जनरेटर्स संचालन कार्य हेतु पदस्थ समस्त कर्मचारियों को निविदादाता द्वारा बैंक के माध्यम से भुगतान किया जावेगा।

41. निविदादाता को जनरेटर्स संचालन कार्य हेतु पदस्थ समस्त कर्मचारियों को श्रमायुक्त के वर्गीकरण अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान करना अनिवार्य होगा जिसमें समय–समय पर वृद्धि होने की दशा में वेतन वृद्धि की जाना अनिवार्य होगा।

42. निविदादाता को आवश्यकतानुसार श्रम विभाग से लायसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा जो कि श्रम विभाग के निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

43. निविदादाता को जनरेटर्स संचालन कार्य हेतु पदस्थ समस्त कर्मचारियों का निर्धारित ई.पी.एफ./ई.एस.आई. कटौत्रा कर उनके खाते में जमा कराना अनिवार्य होगा। मांगे जाने पर निविदादाता को ई.सी.आर. शीट भी प्रस्तुत करना होगी।

44. निविदादाता को जनरेटर्स संचालन कार्य हेतु पदस्थ प्रत्येक कर्मचारी को आई.डी.कार्ड, प्रदान करना अनिवार्य होगा।

45. जनरेटर्स रिपेयर की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी निविदादाता की स्वयं की होगी।

46. निविदादाता को जनरेटर्स स्थापित स्थल की लाईट में फॉल्ट होने संबंधी सुधार हेतु लोक निर्माण विभाग एवं विद्युत विभाग से समन्वय कर कार्य कराना होगा।

47. निविदादाता को जनरेटर्स संचालन कार्य प्रारंभ होने के एक माह के भीतर म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से निर्धारित प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

48. निविदादाता को जनरेटर्स से उत्सर्जित वेस्ट डीजल को म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नार्मस् अनुसार अधिकृत एजेंसी को प्रदान करना अनिवार्य होगा।

49. निविदादाता को म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

50. जनरेटर्स संचालन संबंधी भुगतान निविदादाता को प्रतिमाह इस कार्यालय की स्वशासी संस्था द्वारा किया जावेगा जिसके देयक अधिष्ठाता द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी/अधिकारियों के प्रमाणीकरण व अग्रेषित किये जाने के पश्चात् ही भुगतान किये जावेंगे।

51. निविदादाता के मासिक देयक में से नियमानुसार आयकर/जी.एस.टी टी.डीएस. का कटौत्रा किया जावेगा।

52. जनरेटर्स संचालन का कार्य संतोषजनक न पाये जाने अथवा शिकायत पाये जाने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा एवं जमा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

53. यदि निविदादाता द्वारा किसी अनियमितता की शिकायत पाई जाती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उसका जनरेटर्स संचालन कार्य निरस्त कर सकेगा। साथ ही धरोहर राशि भी राजसात कर ली जावेगी।

54. उपरोक्त वर्णित शर्तो में अनुबंध पत्र संपादित करने के दौरान आवश्यकतानुसार अन्य शर्ते शामिल करने का अधिकार अधिष्ठाता, गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर के पास सुरक्षित रहेगा।

55. निविदादाता को निविदा निरस्तीकरण के कारण बताये जाने के बारे में कोई अधिकार नही होंगा।

56. निविदादाता की फर्म का नाम किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग की काली सूची में अंकित होने की स्थिति में उसकी निविदा मान्य नही की जावेगी।

57. समस्त प्रक्रिया में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सभी को मान्य होगा।

58. समस्त विवादों के निराकरण हेतु न्यायालय क्षेत्र ग्वालियर ही होगा।

निविदा शर्ते एवं सह दस्तावेज– 09 पृष्ठ

अधिष्ठाता
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय
ग्वालियर(म0प्र0)

Format-A

Compulsory Format to Submit (Documents)

<u>तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र</u>

स.क्र	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विवरण
		संलग्न हॉ / नही
1.	www.mptenders.gov.in पोर्टल पर इलैक्ट्रोनिक (ऑनलाईन) पद्धति से जमा निर्धारित धरोहर राशि रूपये 2,55,000/– की पावती।	
2.	एम.एस.एम.ई. के तहत धरोहर राशि एवं निविदा फॉर्म राशि की छूट प्राप्त करने वाले निविदादाताओं को निविदा कार्य संबंधी श्रेणी का एम.एस.एम.ई. प्रमाण पत्र संबंधित निविदा कार्य की श्रेणी को प्रमाण पत्र में हाईलाईट कर व स्वयं सत्यापित कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एम.एस.एम.ई. प्रमाण पत्र संबंधित निविदा कार्य की श्रेणी का ना होने पर धरोहर राशि एवं निविदा फॉर्म राशि की छूट मान्य नही होगी।	
3.	ई–निविदा पोर्टल पर एम.एस.एम.ई. की छूट प्राप्त करने पर वाले निविदादाता को ऑनलाईन जमा जी.एस.टी राशि की पावती प्रस्तुत करना होगा।	
4.	कार्यालय द्वारा ऑनलाईन अपलोड संपूर्ण निविदा प्रपत्र सील एवं हस्ताक्षर सहित	
5.	फर्म / कंपनी के जीवित रजिस्ट्रेशन की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।	
6.	पेन कार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।	
7.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रैशन की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।	
8.	निविदाकार को विगत 03 माह जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के जी.एस.टी. रिटर्न जैसे जी. एस. टी.आर–1 की स्वयं सत्यापित प्रतियॉ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
9.	निविदाकार को विगत 03 माह जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के जी.एस.टी. रिटर्न जैसे जी.एस. टी.आर–3बी की स्वयं सत्यापित प्रतियॉ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
10.	वर्ष 2022–2023, 2023–2024, 2024–2025 एवं 2025–2026 (तीन वर्षो का निरंतर) प्रत्येक वर्ष के लिये राशि रूपये 50.00 लाख का सी.ए. द्वारा सत्यापित टर्न ओवर सार्टिफिकेट with **CA Signature:** Official seal, signature and Unique Document Identification Number (UDIN) self attested	
11.	निर्धारण वर्ष (Assessment Year) 2023–2024 2024–2025 एवं 2025–2026 के आई.टी. रिटर्न की स्वयं सत्यापित प्रतियॉ।	
12.	Format A **(02 पेज)**	
13.	Format B **(01 पेज)**	
14.	Format C **(01 पेज)** रूपये 100/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टॅाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र।	
15.	वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक (अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक) की अवधि में जनरेटर्स संचालन एवं सी.एम.सी./ए.एम.सी. कार्य के विभिन्न शासकीय/ अर्द्धशासकीय विभागों से जारी कार्य **राशि रूपये 100.00 लाख** के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियॉ।	
16.	म.प्र. विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा जारी **ए अथवा बी–क्लास श्रेणी** का वैध विद्युत ठेकेदारी लायसेंस की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।	
17.	लोक निर्माण विभाग विद्युत एवं यांत्रिकी से निविदादाता को जारी **ए अथवा बी श्रेणी का वैध लायसेंस की स्वयं सत्यापित छायाप्रति। वैकल्पिक**	

निविदादाता फर्म का नाम अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर सील सहित

Format-B

जनरेटर्स की सी.एम.सी. एवं संचालन का कार्य

प्रति,

अधिष्ठाता,
गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय,
ग्वालियर

विषयः— जनरेटर्स के संचालन कार्य हेतु निविदा बाबत्।

महोदय,

मेरे द्वारा गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह, ग्वालियर के विभिन्न भवनों में स्थापित जनरेटर्स के संचालन कार्य हेतु www.mptenders.gov.in पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित ई—निविदा पर उपलब्ध निविदा फार्म में उल्लेखित सभी शर्तो को भली भॉति पढ एवं समझ लिया गया है एवं निविदा फार्म में अंकित समस्त शर्ते मुझे स्वीकार है। जिसके फलस्वरूप मैं ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी फर्म के संबध में जानकारी निम्नानुसार हैः—

स.क्र.	वांछित जानकारी	विवरण
1.	निविदादाता का पूरा नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	निविदादाता फर्म का पंजीयन नं.	
4.	पत्राचार का पूर्ण पता पिन कोड नं. सहित	
5..	स्थायी पता	
6.	ई—मेल / फैक्स नं.	
7.	दूरभाष / मोबाईल नं.	
8.	पेन नं.	
9.	जी.एस.टी. नं.	
10.	बैंक खाता क्रमांक (फर्म के नाम)	
11.	बैंक का नाम	
12.	खाते का प्रकार	
13.	बैंक शाखा का नाम एवं पूर्ण पता	
14.	बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड	

निविदादाता फर्म का नाम अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर सील सहित

Format-C

घोषणा पत्र (शपथ पत्र)

(रूपये 100/–के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जावे)

1. मैं/ हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/ हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिये सक्षम हूँ/है।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदा कार्य से बहिष्कृत नही किया गया है।
4. मैं/ हम किसी ऐसे कांट्रैक्टर (ठेकेदार) को जो कि मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग द्वारा वर्तमान में बहिष्कृत ना हो, न तो अभिकर्ता हूँ/हैं और न ही उसके लिये कार्य करता हैं/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नही की गई है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गई है तो उसे अमान्य मान जावे।
6. मेरा/हमारा गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर एवं संबद्ध जयारोग्य चिकित्सालय समूह, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्वालियर के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नही है।
7. मेरे/हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरे मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नही की गई है।
8. मेरे/हमारे द्वारा संचालन किये जाने वाले जनरेटर्स के रखरखाव एवं उन्हें कार्यरत रखने की जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी।
9. हमारी संस्था सी.बी.आई./लोकायुक्त/अन्य शासकीय कार्यालय इत्यादि की जॉच में दोषी सिद्ध नही किया गया है, और ना ही दण्डित किया गया है।
10. मेरे द्वारा बिंदु क्रमांक 01 से 09 तक प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने पर मै स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

गवाह के हस्ताक्षर निविदादाता के हस्ताक्षर सील सहित

1. गवाह का नाम, हस्ताक्षर, पता एवं मोबाईल नं

2. गवाह का नाम, हस्ताक्षर, पता एवं मोबाईल नं

स्थान : ....

दिनांक : ....

Signature Not Verified

Digitally signed by RAM KRISHAN SINGH DHAKAD
Date: 2026.05.13 16:56:42 IST
Location: Madhya Pradesh-MP